

वाणिकी

08

वानिकी

मुख्य बिन्दु

- राज्य में आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग कि.मी. (43.13 प्रतिशत), संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग कि.मी. (40.22 प्रतिशत) व अवर्गीकृत वन 9,954.13 वर्ग कि.मी. (16.65 प्रतिशत) वन क्षेत्र है तथा कुल 59,772.40 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2022–23 (Q) में 8,56,958 लाख रु. तथा 2023–24 (अग्रिम) 8,72,411 लाख रु. है।
- सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2022–23 (Q) में 3.00 प्रतिशत व 2023–24 (अग्रिम) में 2.88 प्रतिशत है।
- खदानी रोपण योजनांतर्गत वर्षा ऋतु 2023 में 8.24 लाख पौधों का रोपण किया गया।
- वर्ष 2022–23 में 1111.92 करोड़ रु. मूल्य के 15.83 लाख मानक बोरा तथा वर्ष 2023–24 में 789.91 करोड़ रु. मूल्य के 12.94 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का उत्पादन हुआ है।

8.1 छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है।

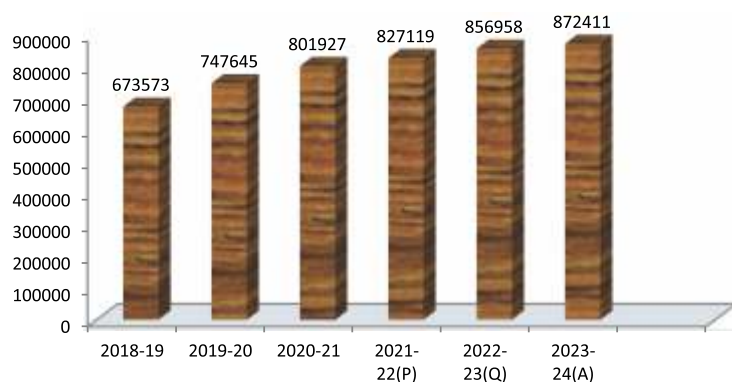
तालिका 8.1 वन एक दृष्टि में		
वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	59772.40	100.00
ब. वनों के प्रकार		
सल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	59772.40	100.00
स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र		
राष्ट्रीय उद्यान-3	13306.457	22.26
टायगर रिजर्व-3		
वन्यप्राणी अभ्यारण्य-11		
बायोस्फियर रिजर्व-1		
हाथी रिजर्व-2		

स्त्रोत:- प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 (वन विभाग)

8.2 पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण परिलक्षित होता है जो तालिका 8.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 8.2 वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)						
मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22(P)	2022-23(Q)	2023-24(A)
भागीदारी (लाख)	673573	747645	801927	827119	856958	872411
वृद्धि (प्रतिशत)	11.24	11.00	7.26	3.14	3.61	1.80
हिस्सा (प्रतिशत)	3.02	3.18	3.37	3.11	3.00	2.88

वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)



छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार $17^{\circ} 46'$ से $24^{\circ} 06'$ उत्तर अक्षांश तथा $80^{\circ} 15'$ से $84^{\circ} 51'$ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियों क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और वैनगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. है।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (प्टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (एनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेलैनौजाईलान) प्रजातियाँ हैं। मध्य वितान में आंवला (एम्बलिका ऑफिसिनेलिश), करंदा (क्लीस्टेन्थस कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही वे वन-वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं, तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर (पेन्थरा टिगरीस), तेन्दुआ (पेन्थरा पार्डस), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकोलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नील गाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणी

जैसे वन भैंसा (बूबैलस बूबैलिस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रेकुला इंडिका) इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वांगीण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

8.3 विभाग की प्रमुख योजनाएं / कार्यक्रम –

राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वनमंडल के वनक्षेत्रों का डिजीटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है –

पर्यावरण वानिकी— शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधा रोपण, पथ वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क / पिकनिक स्पॉट का निर्माण एवं उनके रखरखाव का कार्य किया जाता है। इस वर्ष 142 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज की स्थापना।

बिगड़े वनों का सुधार— प्रदेश के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा इन्हे बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बिगड़े वनों के सुधार का कार्य प्रति वर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जड़ भंडार होता है वहां टूट कटाई का कार्य कराया जाकर कापिस शूट्स से नये पौधों का निर्माण किया जाता है। कम जड़ भंडार वाले एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है।

बांस वनों का पुनरोद्धार— इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पानबरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं बांस रोपण कराया जाता है। बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिरी की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

नदी तट वृक्षारोपण योजना— छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों के तट पर होने वाले भू-क्षरण की रोकथाम कर पारिस्थितिकीय स्थायित्व प्रदान करना।

पथ वृक्षारोपण— राज्य शासन द्वारा सामान्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत पथ वृक्षारोपण एवं रखरखाव कार्य किया जाता है।

तालिका 8.3 वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में प्रमुख योजना अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि का विवरण (राशि हजार में)					
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2022-23 की उपलब्धि (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)		वर्ष 2023-24 की उपलब्धि (अप्रैल 2023 से सितंबर 2024)	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
1	पर्यावरण वानिकी	142 कृष्ण कुंज एवं 58 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पोर्ट का रखरखाव एवं संचालन	296907	01 लाख पौध रोपण एवं 22 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पोर्ट का संचालन	79772
2	बिगड़े वनों का सुधार	43182 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य 59484 हे. में रोपण एवं बिगड़े वनों का सुधार कार्य, 114346 हे. में रखरखाव	1781958	36000 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य 40000 हे. में रोपण, 159600 हे. में रखरखाव	274240
3	भू एवं जल संरक्षण कार्य	72541 हे. में उपचार कार्य, 86717 हे. रखरखाव	332772	52500 हे. में उपचार कार्य, 84000 हे. रखरखाव	333284
4	नदी तट वृक्षारोपण योजना	374 हे. में तैयारी, 522 हे. रोपण कार्य 1037 हे. पुराने रोपण का रखरखाव	65181	1000 हे. में तैयारी, 1000 हे. रोपण कार्य 1500 हे. पुराने रोपण का रखरखाव	20651
5	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	70 हे. में तैयारी, 339 हे. रोपण, 1692 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	28362	1215 हे. में तैयारी, 1210 हे. रोपण, 4800 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	14748
6	बांस वनों का पुनरोद्धार	41688 हे. में तैयारी तथा बांस भिरा सफाई, 35451 हे. में रोपण एवं आर.डी. बी.एफ. कार्य, 61740 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्र का रखरखाव	609080	27800 हे. में तैयारी तथा बांस भिरा सफाई, 25000 हे. में रोपण, 69610 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्रों का रखरखाव	70255
7	पथ वृक्षारोपण	51.80 कि.मी. में तैयारी, 28.50 कि.मी. में रोपण तथा 191.49 कि.मी. रखरखाव कार्य	54289	83 कि.मी. में तैयारी, 83 कि.मी. में रोपण तथा 145 कि.मी. रखरखाव कार्य	9616
8	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	235 हे. में तैयारी, 195 हे. में रोपण, 693 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	40732	495 हे. में तैयारी, 495 हे. में रोपण, 1100 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	8108
9	वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	वनमार्गों में 73 रपटा/पुलिया निर्माण	56659	वनमार्गों में 90 रपटा/पुलिया निर्माण	6487
कुल योग :-			3265940		817161

●नोट :- वर्ष 2023-24 के समस्त कार्य प्रगति पर है।

8.4 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम:— छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मण्डल को लेकर अस्तित्व में आया। वर्तमान में 9 परियोजना मण्डल हैं जिसमें औद्योगिक परियोजना मण्डल, कोरबा, जगदलपुर एवं रायगढ़ शामिल है।

8.4.1 साँगौन, बांस एवं नीलगिरी रोपण:— वर्ष 2001 से 2023 तक कुल 99375 हेक्टेयर क्षेत्र में साँगौन, बांस एवं नीलगिरी के रोपण किये गये। 2023 में 1748.519 हे. क्षेत्र में 27,69,750 साँगौन पौधों का रोपण किया गया है।

8.4.2 खदानी रोपण:— वर्ष 1990 से 2023 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 297.34 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2023 में **8.24 लाख** पौधों का रोपण किया गया है।

8.4.3 सड़क किनारे वृक्षारोपण:— माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम विगत 12 वर्षों दौरान **1071.504 कि.मी.** लम्बाई में पथ एवं 2800.60 हेक्टेयर में ब्लाक वृक्षारोपण किया गया है।

8.4.4 हरियर छ.ग. रोपण:— वर्ष 2023 एवं 2024 में हरियर छ.ग. योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग एवं कोरबा जिलों में 392 हेक्टेयर क्षेत्र में 4.00 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

8.4.5 वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले वृक्षारोपणों हेतु परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में उपलब्ध पौधों का विवरण —

वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2023 वर्षा ऋतु के रोपण हेतु तैयार किये जा रहे हैं :—

तालिका 8.4 वर्षा ऋतु वर्ष 2023 के रोपण का विवरण			
परियोजना मण्डल	साँगौन पौधा 2023 में तैयार किये जा रहे रूटशूट	मिश्रित पौधा 2023 में तैयार किये जा रहे रूटशूट	योग
बारनवापारा—रायपुर	1800000	-	1800000
पानाबरस—राजनादगांव	1020000	61972	1081972
अंतागढ़—मानुप्रतापपुर	1200000	-	1200000
कवर्धा—कबीरधाम	960000	-	960000
कोटा—बिलासपुर	1080000	254309	1334309
सरगुजा—अम्बिकापुर	397800	172262	570062
औ.वृ.मं. कोरबा	-	650110	650110
औ.वृ.मं. रायगढ़	-	300044	300044
औ.वृ.मं. जगदलपुर	-	115074	115074
योग :	6457800	1553771	8011571

तालिका क. 8.5 विगत तीन वर्षों में निगम की आय एवं व्यय (राशि करोड़ रु. में)				
वित्तीय वर्ष	राजस्व	कुल व्यय	लाभ	कर पश्चात लाभ
2017-18	45.60	27.71	17.89	16.02
2018-19	56.40	30.48	25.92	23.33
2019-20	61.27	26.48	34.79	33.67
2020-21	57.71	45.32	12.39	11.56
2021-22	69.11	31.80	37.31	36.48

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

8.5 छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के मुख्य दायित्व

1. वनौषधि के विकास हेतु शोध और अनुसंधान कराना।
2. केन्द्रीय औषधि पादप बोर्ड या राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य के विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही औषधि पौधों के विकास की योजनाओं का अनुश्रवण करना।
3. औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश विहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वयन, उपार्जन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की योजना बनाना।
4. औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण।
5. औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण (कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना) तथा वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना।
6. औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना तथा औषधि पौधों के कृषिकरण को प्रोत्साहित करना।
7. प्रदेश की वनौषधि जैव-विविधता को सुरक्षित रखने हेतु औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं औषधीय पौधों के उपयोग तथा जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परम्परागत ज्ञान को जन सामान्य में जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार करना।
8. औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।
9. जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं की पहचान करना, क्षमता विकास हेतु कार्य, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण का आयोजन कर आदिवासी एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं का अभिलेखीकरण। उपचार केन्द्र की स्थापना/संचालन।

10. जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेंट कराने एवं पेटेंट उपरांत उत्पादन एवं व्यवसायीकरण हेतु प्रयास।
11. जनजातीय और स्थानीय मानव, पशुओं एवं पादपों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परंपरा और प्रथाओं के ज्ञान का अभिलेखन कर, उनके बौद्धिक संपदा को लिपिबद्ध का कार्य।
12. जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं के उत्थान हेतु नीति एवं योजनायें बनाना।
13. औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग के आधार पर जनजातीय एवं स्थानीय परंपराओं के द्वारा राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य (Universal health) की प्राप्ति के लिए प्रयास।
14. राज्य में सर्वेक्षण द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य एवं आहार परंपराओं जिसमें स्थानीय समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विशिष्ट घरेलू उपचार, आहार विधियों एवं इनके मौसमी उपयोगिता के आधार पर एटलस तैयार करना।
15. जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपरागत ज्ञान, औषधीय पौधों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य।

छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड में प्रचलित योजनाओं की अद्यतन जानकारी—

8.6 राज्य मद अंतर्गत प्रचलित कार्य :-

1. वर्ष 2023-24 में वृक्षारोपण हेतु स्थल तैयारी एवं नर्सरी कार्य —

क्र.	मद का नाम	वर्ष 2023-24 में वृक्षारोपण हेतु स्थल तैयारी (हे.)
1	2	3
(i)	वृक्षारोपण	05 वनमंडलों के वनक्षेत्रों में 2105610 औषधीय पौधे (2023 हे. लगभग) लगाये गये हैं।

1. **मॉडल नर्सरी कार्य:**— बोर्ड द्वारा वर्ष 2022-23 में कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधे प्रदाय किये जाने हेतु लगभग 2 करोड़ औषधीय पौधों की मॉडल नर्सरी की स्थापना की जा रही है।

2. **औषधीय पौधों का कृषिकरण :-**

वर्ष 2023-24 में औषधीय पौधों की खेती

तालिका क्रमांक 8.6 वर्ष 2023-24 में औषधीय पौधों की खेती		
क.	औषधीय	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3
1	ब्राह्मी	60.00 एकड़
2	बच	46.00 एकड़
3	सर्पगंधा	8.00 एकड़
4	स्टीविया	24.00 एकड़
5	लेमनग्रास	295.00 एकड़
6	सी एन - 5	69.00 एकड़
7	पामारोजा	19.00 एकड़
योग		521.00 एकड़

1. **हाइड्रोफोनिक की स्थापना :-** छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड कार्यालय परिसर में हाइड्रोफोनिक की स्थापना कर पौधों को विकसित किया जा रहा है।

2. **राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड अंतर्गत कार्य :-** राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के वित्तीय सहयोग से राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत स्टीविया, सर्पगंधा, एलोविरा, बच तथा सतावर का 20 गांवों में 47 एकड़ में कृषिकरण कर 12,85,000 औषधीय पौधों का वितरण किया गया है तथा न्यूक्लियस सेंटर छत्तीसगढ़ (एन.एम.पी.बी. द्वारा वित्तीय पोषित) अंतर्गत बोर्ड द्वारा अम्बिकापुर में परंपरागत वैद्य सम्मेलन (सरगुजा संभाग/वनवृत्त) सह निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

3. **प्रचार-प्रसार एवं मार्केटिंग :-** विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों से आने वाले आमजनों के मध्य छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों (महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित) का विक्रय/प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 02 हर्बल उत्पाद विक्रय केन्द्रों रायपुर रेलवे स्टेशन एवं स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, रायपुर का संचालन किया जा रहा है।

8.7 लघु वनोपज सहकारी संघ— लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य, में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को, उचित मूल्य पर क्रय करता है। जिससे वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को जीविकोपार्जन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्राप्त होता है जबकि पूर्व में स्थानीय व्यापारियों के द्वारा एकदम कम मूल्य पर अथवा केवल नमक के बदले वनोपजों की खरीदी की जाती रही है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014–15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। संघ द्वारा भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत हर्षा एवं सालबीज का संग्रहण वर्ष 2014–15 से, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसुमी लाख एवं रंगीनी लाख 2014–16 से, कालमेघ, बहेड़ा, नागरमोथा, कुल्लू गोंद, पुवाड़, बेलगुदा, शहद, फूल झाड़ू वर्ष 2018–19 से, महुआ फूल (सूखा), जामुन बीज (सूखा), कौंच, धवई फूल (सूखा), करंज बीज, बायबडिंग, आंवला बीज रहित वर्ष 2019–20 से एवं भेलवा, इमली बीज, फूल इमली (इमली बीज रहित), बहेड़ा, कचरिया, गिलोय, नीम बीज, हर्षा कचरिया, वन जीरा, वन तुलसी (बीज) वर्ष 2020–21 से लघु वनोपज का क्रय किया जा रहा है साथ ही अन्य प्रमुख एवं गौण वनोपजों का सफलतापूर्वक संग्रहण किया जा रहा है। जिनका विवरण संबंधित तालिका में देखा जा सकता है। (एक मानक बोरा –50 हजार तेंदूपत्ता)

तालिका 8.7 छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी						
क्र.	वन उपज का नाम	इकाई	उत्पादन (लाख)	मूल्य (करोड़ रु.)	उत्पादन (लाख)	मूल्य (करोड़ रु.)
			2022-23		2023-24	
1	तेन्दू पत्ता	मानक बोरा	15.83	1111.92	12.94	789.91
2	धावड़ा गोंद	क्विंटल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	कुल्लू गोंद	क्विंटल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक